# कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश
# विंध्याचल भवन भोपाल

क्रमांक/साख/एपी/2016/104/ भोपाल, दिनांक 13-4-2016

## आदेश

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं मनीष श्रीवास्तव, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के सेवायुक्तों के (नियोजन, निबन्धन तथा कार्यस्थिति) सेवा नियम क्रमांक 52.6 में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 13-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

संलग्न :– उपरानुसार

(मनीष श्रीवास्तव)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म.प्र.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय भोपाल

पृष्ठां.क. मप्र(मुख्या)/3/कार्मिक प्रशासन/363 दिनांकः 21/04/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शाखा प्रबंधक, म.प्र. राज्य सहकारी बैक मर्यादित, समस्त शाखाऐं, म.प्र.।
2. प्राचार्य, अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कालेज, भोपाल।
3. समस्त वि.क.अ./महाप्रबंधक/सलाहकार/सहायक महाप्रबंधक एवं समस्त कक्ष प्रधान, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय, भोपाल।
4. कक्ष प्रधान (सामान्य प्रशासन–वेतन एवं अवकाश प्रभाग/लेखा/सीबीएस) म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय, भोपाल।
5. निज सचिव, माननीय प्रशासक महोदय, शीर्ष बैंक, भोपाल ।
6. निज सचिव, प्रबंध संचालक, शीर्ष बैंक, भोपाल ।
7. आदेश नस्ती ।
8. संबंधित नस्ती ।
9. रिकार्ड ।

(एच.एस. तोमर)
सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक प्रशा.)

(प्रबंध संचालक के आदेशानुसार)

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit ★ BHOPAL ★

# कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश
## विंध्याचल भवन भोपाल

क्रमांक / साख / एपी / 2016 / 1041 भोपाल, दिनांक 13-4-2016

## आदेश

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं मनीष श्रीवास्तव, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के सेवायुक्तों के (नियोजन, निबन्धन तथा कार्यस्थिति) सेवा नियम क्रमांक 52.6 में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 13-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(मनीष श्रीवास्तव)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म.प्र.
भोपाल, दिनांक 13-4-2016

क्रमांक / साख / एपी / 2016 / 1041

प्रतिलिपि,

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, सहकारिता म.प्र. शासन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
5. राजपत्रित अधिकारी, (समस्त) मुख्यालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

13/4/16
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म.प्र.

40(F)
13.4.16

# मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के सेवा नियम में संशोधन

| क्र. | सेवानियम क्रमांक | कंडिका | वर्तमान प्रावधान | संशोधित प्रावधान | संशोधन का कारण / रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 52 | 52.6 | (1) **52.6.1**– संचयी प्रभाव सहित वार्षिक वेतन वृद्धियों के रोकने (नियम क्रमांक 48.1.1) की दशा में रोकी गई वेतन वृद्धियों की संख्या के समानुपातिक वर्ष की निलंबन कालावधि के दौरान सेवायुक्त उसे भुगतान किये गये निलंबन भत्ते के अतिरिक्त वह किसी अन्य रकम के लिए हकदार नहीं होगा एवं उसे समानुपातिक वर्ष में वेतन वृद्धियां प्राप्त नहीं होगी।<br>(2) **52.6.2**– असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धियों के रोकने (नियम क्रमांक 48.2.3) की दशा में रोकी गई वेतन वृद्धियों की संख्या के समानुपातिक वर्ष में सेवायुक्त वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धियों की अवधि समाप्त होने पर सेवायुक्त एकमुश्त पूर्व की रोकी गई वेतन वृद्धियों का लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा परंतु सेवायुक्त निलंबन कालावधि के दौरान कर्तव्य पर समझा जायेगा और वह उसी वेतन के लिये हकदार होगा जो कि वह निलंबित नहीं किये जाने की स्थिति में प्राप्त करता तथा उसके द्वारा निलंबन अवधि में प्राप्त निलंबन भत्ते को कम करने के पश्चात शेष वेतन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। | (1) **52.6.1**– संचयी प्रभाव सहित वार्षिक वेतन वृद्धियों के रोकने की दशा में रोकी गई वेतन वृद्धियों की संख्या के समानुपातिक वर्ष की निलंबन कालावधि के दौरान सेवायुक्त उसे भुगतान किये गये निलंबन भत्ते के अतिरिक्त वह किसी अन्य रकम के लिए हकदार नहीं होगा एवं उसे समानुपातिक वर्ष में वेतन वृद्धियां प्राप्त नहीं होगी।<br>(2) **52.6.2**– असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धियों के रोकने की दशा में रोकी गई वेतन वृद्धियों की संख्या के समानुपातिक वर्ष में सेवायुक्त वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धियों की अवधि समाप्त होने पर सेवायुक्त एकमुश्त पूर्व की रोकी गई वेतन वृद्धियों का लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा परंतु सेवायुक्त निलंबन कालावधि के दौरान कर्तव्य पर समझा जायेगा और वह उसी वेतन के लिये हकदार होगा जो कि वह निलंबित नहीं किये जाने की स्थिति में प्राप्त करता तथा उसके द्वारा निलंबन अवधि में प्राप्त निलंबन भत्ते को कम करने के पश्चात शेष वेतन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। | त्रुटि सुधार |

13/4/16

क्रमशः....02

| क्र. | सेवानियम क्रमांक | कंडिका | वर्तमान प्रावधान | संशोधित प्रावधान | संशोधन का कारण/रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | (3) **52.6.3**– सेवानियम क्रमांक 48.1.3, 48.1.4 एवं 48.1.5 के दंड से दंडित किये जाने की स्थिति में सेवायुक्त निलंबन कालावधि के दौरान उसे भुगतान किये गये निलंबन भत्ते के अतिरिक्त किसी अन्य रकम के लिये हकदार नहीं होगा। | (3) **52.6.3**– पूर्ववत। | |
| | | | (4) **52.6.4**– सेवानियम क्रमांक 48.2.1, 48.2.2 एवं 48.2.4 के दंड से दंडित किये जाने की स्थिति में सेवायुक्त निलंबन कालावधि के दौरान कर्तव्य पर समझा जावेगा और वह उसी वेतन के लिए हकदार होगा जो कि वह निलंबित नहीं किये जाने की स्थिति में प्राप्त करता तथा उसके द्वारा निलंबन अवधि में प्राप्त निलंबन भत्ते को कम करने के पश्चात शेष वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा परन्तु यह भी कि निलंबन की कालावधि के दौरान सेवायुक्त किसी अन्य नियोजन या व्यवसाय में संबद्ध न रहा हो। | (4) **52.6.4**– पूर्ववत। | |

13/4/16.

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश